निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आषाढ़ 1937 (श0)
(सं0 पटना 800) पटना, वृहस्पतिवार, 9 जुलाई 2015

सं० 2/सी0– 10135/2008–सा0प्र0–11018

lkekU; iz'kklu foHkkx

संकल्प

8 vxLr 2014

मो0 कामिल अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 833/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बछवाड़ा, बेगुसराय के विरूद्ध कृषि इनपुट सब्सिडी राशि के वितरण में अनियमितता बरतने, फसल क्षति अनुदान की राशि को रोक रखने, एक ही परिवार के छः (6) अयोग्य व्यक्तियों को फसल क्षति अनुदान का भुगतान करने एवं फसल क्षति से संबंधित महत्वपूर्ण कागजातों को गायब कराने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 10738 दिनांक 30.07. 2012 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन, श्री अख्तर के अभ्यावेदन एवं बिहार लोक सेवा अयोग, पटना के अभिमत पर विचारोपरांत निष्कर्षतः मो0 कामिल अख्तर (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 833/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बछवाड़ा, बेगुसराय को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत (i) संचयात्मक प्रभाव से तीन वार्षिक वेतनवृद्धियों पर रोक एवं (ii) पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक का दण्ड विभागीय संकल्प संख्या 639 दिनांक 17.01.2014 के द्वारा संसूचित किया गया एवं संकल्प निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया गया।

2. मो0 कामिल अख्तर के निलंबन अवधि के लिए देय वेतन भत्ता के सन्दर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 (5) के प्रावधानों के आलोक में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण दिनांक 05.02.2014 को समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके निलंबन अवधि (दिनांक 23.12.2008 से 17.01.2014) के लिए उन्हें देय वेतनादि से 25% राशि की कटौती कर मात्र 75% राशि का भुगतान करने की स्वीकृति संकल्प संख्या 4658 दिनांक 04.04.2014 के द्वारा प्रदान की गयी।

3. मो0 कामिल अख्तर ने दिनांक 28.02.2014 को अपना पुर्नविलोकन अर्जी दाखिल करते हुये इन्होंने निलंबन पूर्व अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिये जाने, जिला पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण को संतोषप्रद बताये जाने, संचालन पदाधिकारी, विभागीय जाँच आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन में कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाये जाने, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वृहत दण्ड दिये जाने से असहमति के आलोक में सभी आरोपों से मुक्त करते हुये संसूचित वृहद दण्ड से बरी करने का अनुरोध किया।

4. श्री अख्तर के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा में पाया गया कि इसमें मूल रूप से उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जो उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 17.06.2009 तथा अभ्यावेदन दिनांक 25.02.2013 में पूर्व में प्रस्तुत किया गया था। पूरे मामले की पुर्न–समीक्षा में पाया गया कि आरोपित के स्पष्टीकरण तथा संचालन

पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में ही कम–से–कम 162 कृषकों के चेक रोक रखने का आरोप प्रमाणित होता है। एक ही परिवार के कई व्यक्तियों को कुल 53,570/– रूपये का फसल क्षति अनुदान अनियमित ढंग से करने का आरोप संचालन पदाधिकारी द्वारा इस आधार पर प्रमाणित नहीं पाया गया है कि उक्त राशि लाभुकों द्वारा वापस कर दी गयी, किन्तु अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा द्वारा जिला पदाधिकारी, बेगूसराय के निदेशानुरूप आवश्यक जाँचोपरांत उक्त लाभुकों से दिनांक 05.08.2008 को उक्त अनुदान की राशि वापस जमा कराया गया है। इस प्रकार लाभुकों द्वारा प्राप्त की गयी अनुदान राशि को वापस करना तथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा उक्त वापसी को स्वीकार करना स्वंय में आरोपित द्वारा अनुदान की अनियमित स्वीकृति एवं भुगतान का प्रमाण है। फसल क्षति अनुदान से संबंधित महत्वपूर्ण कागजातों को गायब करने, जिसे बाद में आरोपित के आवास से बरामद किये जाने के आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी का अभिमत है कि प्रायः ऐसा देखा गया है कि कार्य की अधिकता की स्थिति में पदाधिकारियों द्वारा अपने सरकारी आवास पर संचिकायें एवं अन्य कागजात मंगवाकर कार्यों का निष्पादन किया जाता है तथा इन्भेंटरी में किसी कागजात के साथ छेड़छाड़ किये जाने अथवा उनमें किसी प्रकार की हेरा–फेरी किये जाने के संबंध में कोई बात दर्ज नहीं की गयी है। उक्त आधार पर यह आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है। इस संबंध में आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण में यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि कागजातों के रख–रखाव की जिम्मेवारी अंचल नाजीर की थी और उस समय बी0पी0एल0 सूची, फोटो युक्त मतदाता सूची तथा मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन आदि महत्वपूर्ण कार्यों के कारण दिन–राज काम चल रहा था और ऐसे में किसी के लिए भी इनके आवास पर कागजातों को रखना आसान था। साथ हीं इन्होंने यह संशय भी व्यक्त किया है कि कार्य को तेजी से निपटाने हेतु अपने अधीनस्थों पर यह काफी कड़ाई कर रहे थे अतएव उनमें से ही किसी के द्वारा इन्हें फंसाने के लिए उक्त कागजात इनके आवास पर रख दिये गये होंगे। किन्तु आरोप–पत्र के साथ साक्ष्य स्वरूप संलग्न इन्भेंटरी सूची के अवलोकन से विदित होता है कि आरोपित के आवास से बरामद कागजातों की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसके आधार पर न तो आरोपित पदाधिकारी का यह बचाव बयान मान्य प्रतीत होता है कि उनके संज्ञान के बिना किसी के द्वारा उक्त कागजात इनके आवास में रख दिये गये थे और न संचालन पदाधिकारी का यह अभिमत ही कि कार्य की अधिकता के कारण पदाधिकारी अपने आवास पर भी कागजात मंगवाकर कार्यों का निष्पादन करते है। अगर आरोपित के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाय तो भी यह तथ्य स्थापित होता है कि अपने कार्यालय/अधीनस्थों पर उनका कोई प्रशासनिक नियंत्रण नहीं था। सम्यक् विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अख्तर के पुर्नविलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार मो0 कामिल अख्तर के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करते हुये संकल्प संख्या 639 दिनांक 17.01.2014 द्वारा अधिरोपित तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं प्रोन्नति पर पाँच वर्षों तक रोक के दंड एवं मो0 कामिल अख्तर के निलंबन अवधि (दिनांक 23.12.2008 से 17.01.2014) में देय वेतनादि से 25% राशि की कटौती कर मात्र 75% राशि भुगतान करने संबंधी आदेश संकल्प संख्या 4658 दिनांक 04.04.2014 को पूर्ववत रखा जाता है।

vkns'k %&vkns'k fn;k tkrk g fd bl ladYi dk fcgkj jkti= d vxy vlk/kkj.k vad e çdkf'kr fd;k tk; rFkk bldh izfr lHkh lacaf/krk dk Hkst nh tk;A

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रामेश्वर प्रसाद दास,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 800-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in